

मनुस्मृति (संन्यासधर्म विषय) षष्ठ अध्याय

आज हम मनुस्मृति के षष्ठ अध्याय में वर्णित संन्यास धर्म विषयक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जिसमें संन्यास आश्रम से सम्बन्धित सभी नियम व धर्म का व्याख्यान आचार्य मनु ने किया है। मनुस्मृति जो मानव जीवन के उद्देश्य तथा जीवन में किए जाने वाले बाले कर्मों को किस प्रकार किया जाए, कौन से कर्म, कौन से आश्रम में करणीय हैं तथा कौन से अकरणीय हैं। किन कर्मों के करने पर कौन फल प्राप्त होता है, आदि अनेक विषयों पर मनुस्मृति में प्रकाश डाला गया है।

सम्प्रति हम संन्यास आश्रम कौन सी अवस्था में ग्रहण करना चाहिए इस विषयक प्रथम श्लोक पढ़ेंगे -
पद्य - वनेषु च विद्वत्यैवं तृतीयं भागमायुषः।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गन्परिव्रजेत् ॥ ३३ ॥

श्लोक में कुछ सन्धियुक्त शब्द हैं सर्वप्रथम उनका विग्रह करेंगे।
विद्वत्यैवम् → विद्वत्य + एवम्
भागमायुषः - भागम् + आयुषः।
चतुर्थमायुषः - चतुर्थम् + आयुषः।
सङ्गन्परिव्रजेत् - सङ्गन् + परिव्रजेत्।

पद्यार्थ करते समय अन्वये की आवश्यकता पड़ती है। बिना अन्वय के अर्थ में सुगमता नहीं रहती क्योंकि पद्य में शब्द को छन्द के अनुसार ही लगाया जाता है प्रयुक्त किया जाता है।
पद्यार्थ - (एवं) इस प्रकार से, अर्थात् संन्यास से पूर्व आचार्य वानप्रस्थ के नियम व धर्म का आख्यान शास्त्र में किया जा चुका है। उसी पूर्व प्रसंग को जोड़ते हुए मनु महाराज कह रहे हैं - पूर्वोक्त प्रकार से (वनेषु आयुषः तृतीयं भागम्) वनों में, अरण्यों में, जंगलों में, आयु के तृतीय भाग, तृतीय अवस्था, मानव शरीर की आयु को

सामान्यतः चार भागों में विभक्त किया गया है जिसमें 25 वर्ष तक की अवस्था शीखने की, गृहण करने की है जिसे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य काल के रूप में इंगित किया गया है। द्वितीय अवस्था 26 से 50 वर्ष तक की अवस्था, जिसे गृहस्थ आश्रम के रूप में वर्णित किया है, तथा तृतीय अवस्था है 50 से 75 वर्ष तक की, जिसे वनप्रस्थ आश्रम के रूप में विभाजित किया है जिसका वर्णन इसी बख्त अध्याय के प्रारम्भ में मनु महाराज ने संकेतित किया है। कि जब गृहस्थ में रहते हुए शरीर की चमड़ी ढीली हो जाए जिसे लौक भाषा में झुर्रियाँ पड़ना कहते हैं शरीर ऐसा हो जाए बाल पकने लग जाए तथा जब पुत्र (या पुत्री) के घर सन्तान हो जाए तब अरण्य में जाकर निवास करे। इसी को मनु महाराज ने इस श्लोक में भी कहा है कि (वनेषु आयुषः तृतीयं भागम्) वन में आयु के तृतीय भाग वनप्रस्थ में (विहृत्य) विहार करे, अधिक से अधिक 25 वर्ष, न्यून से न्यून 12 वर्ष तक निवास करने के उपरान्त (आयुषः चतुर्थम् भागम्) आयु के चौथे भाग अर्थात् 75 वर्ष के पश्चात् (संगान् त्यक्त्वा) सभी सज्जों को छोड़कर, अर्थात् शारीरिक रूप में बन्धु बन्धवों का संग तथा मानसिक रूप में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि शत्रुओं का भी पूर्णरूपेण साथ छोड़कर, अर्थात् इन्हें अपने जीवन में बिल्कुल न रखते हुए (परिव्रजेत्) परिव्राजक अर्थात् संन्यासी हो जावे।

भावार्थ - इस पद्य के माध्यम से मनुस्मृतिकार यह भी संदेश देना चाहते हैं कि तृतीय अवस्था करते अपनी इतिश्री न समझ ले, वन में रहते हुए अपने गृहस्थ के सम्बन्धों को मन से छोड़ने का पूर्वाभ्यास करने के उपरान्त संन्यासाश्रम में प्रवेश करे। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है

“ ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। ” [शतपथ काण्ड 14]
 ब्रह्मचर्य आश्रम को भली भांति समाप्त कर गृहस्थी हो, गृहस्थी होकर वनप्रस्थी हो, और अन्त में वनप्रस्थ के अनन्तर परिव्राजक संन्यासी होकर, अपनी आश्रम व्यवस्था को पूर्ण करे।

द्वितीय पद्य - अधीत्य विधिवद्देदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ 6/36 ॥

प्रसंग - संन्यासाश्रम स्त्री सीढ़ी को जानव कब प्राप्त कर सकता है इस विषय को इस पद्य में बताया गया है।

श्लोक में पदच्छेद देखेंगे -

1. विधिवत् + वेदान् = विधिवद्देदान् - यहाँ श्लोक जशन्ते सूत्र से जो पदान्त शब्द है उसे जशदेश होकर उपर्युक्त रूप बना है। इसका शब्द है पुत्रांश्च इसका पदच्छेद - पुत्रान् + च यहाँ न् का रुत्व, रुत्व को विसर्ग, विसर्ग को पुनः सकारादेश श्चुत्व होकर पुत्रांश्च रूप सिद्ध होता है हल् सन्धि के अन्तर्गत है। तृतीय शब्द है शक्तितः + यज्ञैः + मनः इन्हें पृथक् करने पर शक्तितः + यज्ञैः + मनः, प्रथम दो शब्द शक्तितः + यज्ञैः यहाँ दृशि-च से दृश् पर रहे अकार से उत्तर रु के रेफ को उच्चार हो जाता है उ को आद् गुणः गुणैःदेश होकर शक्तितो + यज्ञैः सिद्ध होगा दूसरा पद है यज्ञैः + मनो + मोक्षे यहाँ 'स सजुषो रुः' से रु आदेश होकर यज्ञैर्मनो, मनो + मोक्षे दृशि-च सेलान्कार, उच्चार, उच्चार को ओच्चार हो गया, पदच्छेद- मनः + मोक्षे।

अर्थ - (विधिवत् वेदान् अधीत्य) विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके, कौन सी विधि है वेदों के अध्ययन की मनुस्मृति के ही तृतीय अध्याय में मनु महाराज ने उसकी विधि भी हमारे लिए प्रदान की हुई है - षट्त्रिंशद् आबिदकं चर्यं 36 वर्ष पर्यन्त चारों वेदों का अध्ययन गुरु के समीप ब्रह्मचर्य काल में करे, इसमें विकल्प भी दिया यदि 36 वर्ष नहीं तो उससे आधे अर्थात् 18 अठारह वर्ष पर्यन्त अध्ययन करे, यदि उतना भी न कर सके तो उसका आधा 9 नव वर्ष वेदाध्ययन में लगाए अथवा जब तक ऋग् यजुर् साम की समाप्ति न हो तब तक अध्ययन में लगा रहे इस प्रकार आचार्यकुल गुरुकुल में जाकर यथाविधि अध्ययन करे। क्या बच्चा सर्वप्रथम सीधे वेद ही पढ़ने लग जाए इस विषय में 'महोष दयानन्द सरस्वती' 'सत्यार्थ प्रकाश' तृतीय समुल्लास पठनपाठनविधि प्रकरण में विस्तार से बताया है कि प्रथम बालक बालिका को वर्णा-ध्वारण शिक्षा का अभ्यास, तदनन्तर अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिशेष आदि पाणिनिवृत पञ्चोपदेश को विस्तार से पढ़ने के उपरान्त, व्याकरण का ज्ञान होने के अनन्तर निरुक्त, पिंगलान्यायकृत छन्दोग्रन्थ जिससे वैदिक लौकिक दोनों प्रकार के छन्दों का ज्ञान तत्पश्चात् मनुस्मृति वाल्मीकि रामायण, महाभारत के उद्योगपर्व के अन्तर्गत विदुरनीति आदि अच्चे-२ प्रकरण, काव्यरीति से पढ़ावे, तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, योग, सांख्य,

तथा वेदान्त को पढ़ने से पूर्व सर्वसम्मत एसादशोपनिषद् का भी (4)
 यथाविधि स्वाध्याय करे तदनन्तर चारों वेदों के चार ब्राह्मण पढ़ने
 के अनन्तर स्वर शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा त्रिषा संहित-चारों वेदों को
 पढ़े, उपवेदों को पढ़े। वेद-ऋग् यजुः साम अथर्व, उपवेद-आयुर्वेद,
 धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अथर्ववेद। इस प्रकार 21, 22 वर्ष पर्यन्त
 सम्पूर्ण वेद वेदाङ्ग में पारङ्गत हो जायेगा। उपर्युक्त प्रकार से, विधि से
 वेदों को पढ़ कर (धर्मतः पुरान् उत्पाय) धर्मपूर्वक पुत्रों को उत्पन्न
 करके, (धर्मतः) पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए भी क्या धर्म की
 आवश्यकता है? हाँ, है, गृहस्थ में, विवाह संस्कार के बाद ही
 व्यक्ति प्रवेश करता है क्योंकि जीवन को समुन्नत बनाने के लिए
 ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, धर्मात्मा विद्वान् विज्ञ विप्रों
 ने चार आश्रमों की व्यवस्था की है उसी प्रकार विवाह के प्रकार भी
 बताए। श्लो 5 प्रकार के विवाह पद्धतियों में कोई भी चुन कर
 उसके अनुसार गृहस्थ में प्रवेश करने के उपरान्त भी जिन शक्तियों
 में गर्भध्यान करने का निषेध है उनको छोड़ कर सन्तान को
 उत्पन्न करे, जो इस प्री प्रक्रिया को अपनाता है वही धर्मपूर्वक
 सन्तान उत्पन्न करके, क्या अधर्मपूर्वक भी सन्तान होती है?
 हाँ अवश्य होती है, जब बिना विवाह के कामवासना के वशीभूत
 होकर परस्त्री के पास जा, जो सन्तान उत्पन्न करता है वह अधर्म
 पूर्वक सन्तान उत्पन्न करता है इसीलिए मनु महाराज ने कहा -
 धर्मतः पुरान् उत्पाय, इसके बाद क्या करे? (शक्तितः यज्ञैः
 इष्ट्वा) सामर्थ्यानुसार यज्ञों के द्वारा हवन करके, अथत्
 देवा देवी न करे जैसा जिसका सामर्थ्य है उसी के अनुसार
 व्यक्ति करे 'यज्ञैः' बहुवचनान्त है, अथत् ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ,
 पितृयज्ञ, अत्रिथि यज्ञ, बलिर्वेश्वदेव यज्ञ इन पांचों
 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करे, मात्र देवयज्ञ आहुति व
 सामग्री डालकर अपनी इतिश्री न मान ले, गृहस्थ आश्रम में
 तो कार्याधिक्य के कारण कभी दूर भी गया हो किन्तु अब
 तृतीय आश्रम वानप्रस्थ में (शक्तितः) सम्पूर्ण सामर्थ्य से, बिना
 आलस्य व प्रमाद किए यज्ञों का सम्पान करके (मोक्षे मनः
 निवेशयेत्) मोक्ष में मन को लगाये अथत् मोक्ष में, मोक्ष
 क्या है? क्या चतुर्थ आश्रम मोक्ष है? नहीं मोक्ष नहीं है,
 किन्तु मोक्ष की तैयारी का आन्तिम पड़ाव है, मुक्ति तो व्यक्ति
 पैदा होते ही चाहने लगता है क्या किसी को बंधन अच्छा लगता
 है? नहीं, पर यदि ऋषि कथित वेद निवेदित नियमों का पालन
 नहीं करेंगे तो गहरे अज्ञान से जकड़ लिए जायेंगे, अतः
 वेद प्रदत्त नियम, धर्म, व्रत ही व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति का मार्ग

प्रशस्त करता है। यदि अनन्त आनन्द, ईश्वरानन्द, साच्चिदानन्द को
 चाहता है तो मन को संन्यास में मोक्ष में लगावे, संन्यास वास्तव
 में है क्या? क्या घर छोड़ देना, बाल बढ़ा लेना, भगवां वस्त्र
 धारण कर लेना, किसी मन्दिर वा मठ में जाकर भगवान् का
 अर्चन पूजन करना मात्र ही संन्यास है या अन्य कुछ? संस्कार
 विधि [महर्षि दयानन्द सत्रकृत में संन्यास प्रकरण में इसकी परिभाषा
 कुछ इस प्रकार की है "]

"सम्यङ् न्यस्यन्ति अध्वमन्विरणानि येन वा सम्यङ्
 नित्यं सत्कर्मस्वास्ते उपविशन्ति स्थिरीभवन्ति येन संः, संन्यासो
 विद्यते यस्य स संन्यासी" [संस्कार विधि संन्यास प्रकरण]

"जो अच्छी प्रकार, भली भांति अध्वमन्विरणों को
 त्याग देता है, जो नित्यप्रति श्लेष्ठाचरणं, विद्यायुक्त आचरण,
 धर्मयुक्ताचरण वेदानुसूल आचरण में स्थिर रहता है, उससे
 पृथक् नहीं होता, वह संन्यासी होता है।"

जो उपर्युक्त प्रकार से मोक्ष में संन्यास में
 अपने मन को लगाता है वही संन्यासी है।

भावार्थ -

मनु महाराज का तात्पर्य यही है कि वेदानुसूल ^{मनु} प्रतिपादित
 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ करने के उपरान्त अपने मन को
 संन्यास आश्रम में लगावे, इससे इतर विषयों में मन को
 कभी न लगावे ॥

अग्रिम श्लोक उपर्युक्त आचरण जो नहीं करता वह किस
 गति को प्राप्त करता है इस विषय को इस श्लोक में कहा गया
 है -

③ पद्य - अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाय तथा सुतान् ।
 अमिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यथः ॥ 61-37 ॥

अर्थ - (द्विजः वेदान् अनधीत्य) द्विज वेदोंको न पढ़कर, द्विज
 कौन है? जिसका दूसरा जन्म होता है वह द्विज कहलाता है,
 प्रथम जन्म तो माँ के गर्भ से होता है किन्तु दूसरा जन्म आचार्य
 कुल में होता है,

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।
 तं रापीस्तिश्च उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति
 देवाः ॥

हमारी वैदिक शिक्षण पद्धति में तो बालक बालिका

(6)

मातृकुल वा पितृकुल को छोड़कर उपनयन करके आचार्य-कुल में वेदाङ्ग संस्कार के उपरान्त प्रवेश करता था। श्रावणी उपवास के दिन ही आर्यजन यज्ञोपवीत परिवर्तन तथा नवीन धारों का वेदाङ्ग करते थे। जब आचार्यकुल में शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त विद्याव्रतस्नातक बनकर धार का समावर्तन संस्कार होता था तब उस शिष्य का धार या विद्यार्थी का, अन्तेवासी का दूसरा जन्म कहलाता था अर्थात् अब वह द्विज हुआ। जो द्विज वेदों को नहीं पढ़कर, क्योंकि आचार्यकुल में सभी धार तो एक समान होते न थे इसीलिए पाषिणी की अध्याध्यापी में ओदनप्रियाश्चामा; उदाहरण भी आता है अर्थात् कुछ धार केवल ओदन-चावल खाने के लिए ही रहते थे; क्योंकि पांचों अंगुलियाँ एक समान न हैं न हो सकती हैं, जिसका वेदाङ्ग तो हुआ पर जिसने मनोयोग से नहीं पढ़ा वह विद्या स्नातक नहीं बना। विद्या में जो स्नान करते, ज्ञान से जो स्वयं को आपूरित करते वह विद्यास्नातक। जो व्रतों का पालन करे वह व्रतस्नातक। और जो विद्या और व्रत दोनों में अगुणी रहे वह विद्याव्रतस्नातक कहलाता है अतः जो वेदों को नहीं पढ़ा, (अनुत्पाद्य तथा सुतान्) तथा जैसा भी पूर्व श्लोक में कहा गया था, पूर्व में कहा गया था 'धर्मतः पुत्रान् उसाय' धर्मपूर्वक सन्तान उत्पन्न करके, अब यहाँ कहा जा रहा है (तथा सुतान् अन् + उत्पाद्य) धर्मपूर्वक सन्तान उत्पन्न न करके, (-च) और (यज्ञैः एव अन् + इष्ट्वा) यज्ञों का अनुष्ठान न करते हुए, न करके (मोक्षम् इच्छन्) मोक्ष की इच्छा रखते हुए (अप्यः व्रजति) नीचे गिर जाना है। अधोगति को प्राप्त करता है।

भावार्थ -

जो आचार्यकुल में वेदों का अध्ययन नहीं करता, धर्मपूर्वक पुत्रों को नहीं जन्मता तथा यज्ञादि श्रेष्ठ महायज्ञों का अनुष्ठान भी नहीं करता ऐसा व्यक्ति मोक्ष की इच्छा संन्यास की इच्छा रखते हुए भी, अधोगति को ही प्राप्त करता है, जैसा कर्म वैसा ही फल प्राप्त करता है।

प्रसङ्ग - संन्यास आश्रम ग्रहण करने का एक सामान्य नियम है कि वानप्रस्थ के अन्तर लिया जाता है किन्तु साधक व्यक्ति की स्थिति वानप्रस्थ से पूर्व ही यदि गृहस्थ में बन जाती है तो वह गृहस्थ से सीधे ही संन्यास ग्रहण कर सकता है इस विषयक प्रस्तुत श्लोक उद्धृत किया गया है -

(4) पद्य - प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोष्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ 6138 ॥

संध्यक्षर युक्त पद है 'निरूप्येष्टिम्', आत्मन्यग्नीन् ।

निरूप्य + इष्टिम् = आद गुणः गुणैर्भादेश तथा

आत्मनि + अग्नीन् = इत्येयणचि से यणादेश

अर्थ - (सर्ववेदसदक्षिणाम्) जिस यज्ञ में समस्त सम्यक्ति को दक्षिणा रूप में देते हैं जैसा कि ऋग्वेदोपनिषद् में भी इस शब्द का प्रयोग प्रारम्भ में ही किया गया है "उशन इ वे वाजश्वसः सर्ववेदसं ददौ"

नचिकेता का पिता वाजश्रवा जे, सभी दुखों से दूरने के लिए (सर्ववेदसम्) अपने सब अन्न धनादि पदार्थों को दे दिया । जिस यज्ञ में सबकुछ आहुत कर दिया जाए उसी को विश्वजित् = सर्वमेधयज्ञ, प्राजापत्येष्टि कहते हैं । प्राजापत्येष्टि - प्रजापति परमात्मा के प्राप्त्यर्थ जो इष्टि = यज्ञ किया जाए वह प्राजापत्येष्टि है । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने भी सर्वस्व त्याग कर संन्यास की दीक्षा ली थी इस विषय में वाल्म्यायन मुनि ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रमाण भी देते हैं -

एवं च ब्राह्मणानि - सोऽन्यद् व्रतमुपाकरिव्यमाणो याज्ञवल्क्यो भैरौयीमिति होवाच - प्रव्रजिष्यन् वा अरे अहमस्मात् स्थानादीन् होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवव्राज [न्याय दर्शन ५॥१६॥ वाल्म्यायन]

इसी प्रकार यहाँ पर भी (प्राजापत्यां सर्ववेदसदक्षिणाम् इष्टिं निरूप्य) प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि की, जिसमें शिखा व यज्ञोपवीत का भी त्याग किया जाता है ऐसा महर्षि दयानन्द स. भी सत्यार्थ प्रकाश संन्यास प्रकरण में लिखते हैं - प्रजापति अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ

इष्टि अर्थात् यज्ञ करके यज्ञोपवीत व शिखादि धियो को छोड़, आहुवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, व्यास, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित् धर से निकलकर संन्यासी हो जावे ।

(आत्मनि अग्नीन् समारोप्य) अपनी आत्मा में अग्निमें को समारोपित करके, जिन अग्निमें का सेवन वह बाहर किया करता था अब संन्यास में उन अग्निमें को अपने भीतर आत्मा में प्रतिष्ठित करके समाज का कल्याण करेगा, अब ये अग्निमें उसकी उधार नहीं है अब वह स्वयं ही अग्निस्वरूप हो गया है। सर्वदुत यज्ञ कर चुका है अब उसके पास खेने के लिए कुछ भी नहीं रहा, बस शान्ति ऐषणाओं से मुक्ति होने से वह अर्धमुक्त जीवनमुक्त अवस्था में रहता है। जो पाना है, जिसे जानना है उसके लिए सतत प्रयासरत है इसलिए मनु महाराज कहते हैं (ब्राह्मणः गृहात् प्रव्रजेत्) ब्राह्मण गृह से ही निकल जाए।

उत्तम ज्ञान से युक्त, ब्राह्मणत्व से युक्त ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम से ही संन्यास की दीक्षा ले लेवे। उसे वानप्रस्थ की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी योग्यता संन्यासी बनने की है अतः उसे आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। जैसे कक्षा में कुछ बालक अपनी आयु वर्ग बालों से कहीं अधिक विज्ञ होते हैं; जिसेके कारण उन्हें बीच की कक्षाओं को न करते हुए आगे बढ़ा दिया जाता है। उपर्युक्त मनु के विचार का समर्थन

जाबालऋषिने भी किया है -

ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् गृहात् वनात्।

सामान्य नियम - चारों क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास को करने का है पर यदि साधक में योग्यता है तो वह गृहस्थ से सीधे संन्यास ग्रहण कर सकता है अथवा ब्रह्मचर्य से भी सीधे संन्यास ग्रहण कर सकता है।

भावार्थ - जिसमें सर्वाहुति होती है ऐसे प्राजापत्य यज्ञ का अनुष्ठान कर तथा बाह्य अग्नि को स्वयं की आत्मा में ज्ञानरूप में प्रतिष्ठित करके गृहस्थ से सीधे संन्यास का अधिगम हो जाता है।

प्रसङ्ग - जो ब्राह्मण सभी को निर्भय करके संन्यास ग्रहण करता है वह किन लोकों को प्राप्त करता है इस श्लोक में कहा गया है -

⑤ पद्य - यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्।
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 6/39 ॥

अर्थ- (यः सर्वभूतेभ्यः अभयं दत्वा) जो सभी भूतों = प्राणियों को अभयदान देकर, जो से हम पूर्व प्रसंग से जोड़कर समझेंगे क्योंकि सम्प्रति संन्यासाश्रम का प्रकरण चल रहा है तो जो संन्यासी अथवा परिव्राजक, परिव्राजक भी संन्यासी को ही कहते हैं क्यों? क्योंकि जो घूम घूम कर समाज की सेवा करता है, परिव्रजति इति परिव्राजकः संन्यासी के लिए नियम है कि एक स्थान पर तीन दिन से अधिक निवास न करे, परिभ्रमण करते हुए समाज का कल्याण करे, जिससे स्वयं के अन्दर राग द्वेषादि उत्पन्न हों, पर यदि कल्याण सधता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो संन्यासी सर्वभूतेभ्यः सभी प्रकार के प्राणियों को छोड़े उद्भिज्ज उण्डज स्वेदज या जरायुज, प्राणीजगत् में सभी प्रकार के चैतन प्राणियों का समावेश हो जाता है स्थावर हो फिर जंगम हो, सम्पूर्ण जगत् स्थित प्राणियों को 'अभयं दत्वा' अभय दान देकर अर्थात् संन्यास जो लेना चाहता है उसका एक मात्र कारण परमात्मज्ञान ही हो, भय से, तनाव से, क्षणिक वैराग्य से, संन्यास ग्रहण न करे अपितु निर्वैर होकर, निलोभ, निष्काम, निमोही होकर संन्यास ग्रहण करे जिससे वह संसार का उपकार भलीभांति कर पायेगा। यदि स्वयं छः शत्रुओं से घिरा हुआ है तो अन्यो को स्वयं से निर्भय नहीं कर पायेगा, अतः सभी प्राणियों को अभय दान देना हुआ (शृष्टात् प्रव्रजति) घर से निकलता है तब (तस्य ब्रह्मवादिनः) उस ब्रह्मविद् संन्यासी के, ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित्- जो ब्रह्म को जानता है समझता है वही ब्रह्मवित् होता है अतः उस ब्रह्मज्ञानी के (लोकाः तेजोमयाः भवन्ति) सभी लोक तेजोमय हो जाते हैं। अर्थात् तेजोमय = प्रकाशमय = मुक्ति का आनन्द स्वरूप लोक प्राप्त होता है।

जो भी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य आदि दोषों से रहित है वही अन्यो को अभयदान दे सकता है, जो वासनाओं व क्लेशों से संग्रसित है वह अभय कैसे दे सकता है -

“पुत्रैषणा विद्वैषणा लोभैषणा मया त्यक्ता, मतः
सर्वभूतेभ्योऽभयमस्तु”

(शतपथ 14।6।4।।)

अथर्ववेद में तो -

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे ।
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादभयं नो अस्तु ॥

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् ।
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥

(10)

[अथर्ववेद का. 19, सूक्त 15, मं. 5, 6]

जब जड़-चेतन मित्र-शत्रु, वर्तमान-परोक्ष, दिन-रात, और सभी दिशाओं से अभय की याचना की गई है तो संन्यासी से क्यों नहीं? अर्थात् संन्यासी तो चेतन ब्रह्मवित् है अतः उससे भी अभय देने की बात कही गई है। तभी वह संन्यासी बन कर प्रकाशमय, तेजोमय, आनन्दमय ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पायेगा।

भावार्थ -

जो ब्रह्मज्ञानी सभी प्राणियों को स्वयं से निर्भय करते हुए शृङ्खल से संन्यास की ओर गमन करता है वह ब्रह्मतेजोमय लोक को प्राप्त करता है।

प्रकाश का अर्थ भौतिक प्रकाशन होकर ज्ञान का आलोक 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की भावना की ओर इंगित किया गया है।